क्रम-संख्या–96(क–4)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, शुक्रवार, 27 मई, 2022 ई0
(ज्येष्ठ 6, 1944 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या- 2957 /दस-लाइसेंस-59/ देशी शराब **/2022-2023**
प्रयागराज, दिनांक 27 मई, 2022 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि0–35

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ **पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,** 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24 और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, **राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश,** आबकारी आयुक्त की समय-समय पर यथासंशोधित **अधिसूचना संख्या**-27091/दस-लाइसेंस-59/2002-2003, **दिनांक** 14 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश, आबकारी (**देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन**) नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से **निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-**

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)
(पंद्रहवाँ संशोधन) नियमावली, 2022

1. संक्षिप्त नाम औरप्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) **(पंद्रहवाँ संशोधन) नियमावली**, **2022** कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. नियम-2-का संशोधन – उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, **2002**, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-**1** में दिये गये नियम-**2** के स्थान पर स्तम्भ-**2** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
2-परिभाषाएं जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में	**2**-परिभाषाएं जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली मेः-
(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;	(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;
(ख) ''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसरण में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष में अपनी फुटकर दुकान के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत तीव्र देशी शराब (36 प्रतिशत वी/वी के रुप में) की मात्रा से है। तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार अनुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;	(ख) ''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसरण में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष में अपनी फुटकर दुकान के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत तीव्र देशी शराब (36 प्रतिशत वी/वी के रुप में) की मात्रा से है। तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार अनुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;
(ग) ''बेसिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किए जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जाय। परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो बेसिक लाइसेंस फीस अवशेष अवधि के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के समानुपातिक होगी,	(ग) ''बेसिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किए जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जाय। परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो बेसिक लाइसेंस फीस अवशेष अवधि के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के समानुपातिक होगी,
(घ) ''देशी शराब'' में एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (**ई0एन0ए0**) से निर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली ''तनु या तीव्र'' देशी स्प्रिट और उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (**यू0पी0एम0एल0**)भी सम्मिलित है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय ;	(घ) ''देशी शराब'' में एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (**ई0एन0ए0**) से निर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली ''तनु या तीव्र'' देशी स्प्रिट और उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (**यू0पी0एम0एल0**)भी सम्मिलित है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय ;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ङ)''दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य प्रतिफल शुल्क के उस भाग से है, जो कि अन्तरिम लाइसेंस के प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी दर से देय होगी जैसा कि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय ;	(ङ) ''दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य प्रतिफल शुल्क के उस भाग से है, जो कि अन्तरिम लाइसेंस के प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी दर से देय होगी जैसा कि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय ;
(च) ''दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का **1/365** वॉ भाग होगी,	(च) ''दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 1/365 वॉ भाग होगी,
(छ) ''आबकारी वर्ष'' का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;	(छ) ''आबकारी वर्ष'' का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;
(ज) ''परिवार'' का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और आश्रित माता-पिता से है और वे इसमें शामिल हैं;	(ज) ''परिवार'' का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और आश्रित माता-पिता से है और वे इसमें शामिल हैं;
(झ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;	(झ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;
(ञ) ''लाइसेंस प्राधिकारी'' का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;	(ञ) ''लाइसेंस प्राधिकारी'' का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;
(ट) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए प्रतिफल के शेष भाग से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा देय होगी। यह धनराशि दुकान के लिए नियत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर उदग्रहणीय प्रतिफल फीस के बराबर होगी; परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो यह अवशेष अवधि की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी;	(ट) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए प्रतिफल के शेष भाग से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा देय होगी। यह धनराशि दुकान के लिए नियत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर उदग्रहणीय प्रतिफल फीस के बराबर होगी; परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो यह अवशेष अवधि की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी;
(ठ) ''लाइसेंस फीस की मासिक किस्त'' बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगी जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी और प्रत्येक माह देय होगी। तथापि लाइसेंसधारी द्वारा एक माह में उठाई गई देशी शराब की मात्रा में निहित प्रतिफल फीस का समायोजन नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के प्रति किया जा सकता है;	(ठ) ''लाइसेंस फीस की मासिक किस्त'' बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगी जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी और प्रत्येक माह देय होगी। तथापि लाइसेंसधारी द्वारा एक माह में उठाई गई देशी शराब की मात्रा में निहित प्रतिफल फीस का समायोजन नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के प्रति किया जा सकता है;
(ड) ''मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा''- वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को बारह समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इस प्रकार की गणना में प्राप्त मात्रा मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा होगी;	(ड) ''मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा''- वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को बारह समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इस प्रकार की गणना में प्राप्त मात्रा मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा होगी;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ढ) '' प्रतिभूति धनराशि'' का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त लाइसेंस फीस के **1/10**वॉ भाग के बराबर धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी;	(ढ) ''प्रतिभूति धनराशि'' का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त लाइसेंस फीस के **1/10**वॉ भाग के बराबर धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/**बैंक गारंटी के** माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी;
परन्तु नवीकरण की स्थिति में, पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन**0**एस**0** सी**0**) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।	परन्तु नवीकरण की स्थिति में, पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन**0**एस**0** सी**0**) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।
(ण) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा-**30** के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी शराब की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी शराब की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।	(ण) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा-**30** के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी शराब की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी शराब की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।
(त) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य देशी शराब के आप्टिमम रिटेल प्राइस को पाँच रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरुप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर देय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टिलरी प्राइस के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी, किन्तु अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की यह धनराशि, फुटकर लाइसेंसधारी द्वारा संदेय लाइसेंस फीस के सापेक्ष समायोजित नहीं की जायेगी।	(त) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य देशी शराब के आप्टिमम रिटेल प्राइस को पाँच रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरुप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर देय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टिलरी प्राइस के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी, किन्तु अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की यह धनराशि, फुटकर लाइसेंसधारी द्वारा संदेय लाइसेंस फीस के सापेक्ष समायोजित नहीं की जायेगी।
(थ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली बेसिक लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम 12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी।	(थ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली बेसिक लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम 12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी।
(द) "अनुक्रम" का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये कथित आधार दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।	(द) "अनुक्रम" का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये कथित आधार दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ध) ''पोर्टल'' का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किये जाने के प्रयोजन से है;	(ध) ''पोर्टल'' का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किये जाने के प्रयोजन से है;
(न) ''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है;	(न) ''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है;
(प) ''व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;	(प) ''व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;
(फ) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुर्नव्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।	(फ) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुर्नव्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।
(ब) ''उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (यू0पी0एम0एल0)'' का तात्पर्य ग्रेन एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से विनिर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली देशी स्प्रिट से है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय।	(ब) ''उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (यू0पी0एम0एल0)'' का तात्पर्य ग्रेन एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से विनिर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली देशी स्प्रिट से है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय।
(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।	(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

3–**नियम**- 6 **का संशोधन**– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-**1** में दिये गये विद्यमान नियम-**6** के स्थान पर स्तम्भ-**2** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
6- लाइसेंस की स्वीकृति- इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान करने एवं जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट द्वारा जमा करने पर लाइसेंस निर्गत किया जायेगा।	**6-** लाइसेंस की स्वीकृति- इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान करने एवं जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/**बैंक गारंटी** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट द्वारा **प्रतिभूति धनराशि** जमा करने पर लाइसेंस निर्गत किया जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी स्वामित्व सम्पत्ति प्रमाण पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया हो।	परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी स्वामित्व सम्पत्ति प्रमाण पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया हो।

4–नियम-8 का संशोधन – उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
8- आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें:- फुटकर देशी शराब की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदक को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होगी अर्थात्:- (क) आवेदन एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी मान्य होगा। भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी फुटकर लाइसेंस स्वीकृति हेतु पात्र नहीं होंगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता या आसवनी/मदिरा विनिर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंसधारण करने हेतु पात्र नहीं होगा। दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है। परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसो) के साथ, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंसधारी बना रहेगा या दोनो व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (वारिसो), यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंसधारक बने रह सकते हैं। दोनों व्यक्तियों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनो सम्मिलित रूप से अलग-अलग उत्तरदायी होगे।	8- आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें:- फुटकर देशी शराब की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदक को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होगी अर्थात्:- (क) आवेदन एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी मान्य होगा। भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी फुटकर लाइसेंस स्वीकृति हेतु पात्र नहीं होंगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता या आसवनी/मदिरा विनिर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंसधारण करने हेतु पात्र नहीं होगा। दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है। परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसो) के साथ, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंसधारी बना रहेगा या दोनो व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (वारिसो), यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंसधारक बने रह सकते हैं। दोनों व्यक्तियों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनो सम्मिलित रूप से अलग-अलग उत्तरदायी होगे।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।	(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।
(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।	(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।
(गग) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिये स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों आवेदन हेतु पात्र होगें तथा नवीकरण हेतु दोनों की सहमति आवश्यक होगी।	(गग) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिये स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों आवेदन हेतु पात्र होगें तथा नवीकरण हेतु दोनों की सहमति आवश्यक होगी।
(घ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्ः-	(घ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्ः-
(एक)यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।	(एक)यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।
(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।	(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्व न किया गया हो।	(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्व न किया गया हो।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।	(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, **के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अनिम्न अधिकारी** द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।
(पाँच)यह कि व किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत बिक्रेता/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।	(पाँच)यह कि व किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत बिक्रेता/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।
(छः) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।	(छः) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।
(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।	(सात)यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।
(आठ) यह कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।	(आठ) यह कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया **लाइसेंस** निरस्त कर दिया जाये।
(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय। राज्य सरकार का कर्मचारी, लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।	(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय। राज्य सरकार का कर्मचारी, लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने की स्थिति में चयन के 48 घंटे के भीतर बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन- लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।	(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने की स्थिति में चयन के 48 घंटे के भीतर बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे ऑन- लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।
(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग, इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।	(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग, इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।
(ङ) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति, आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा। लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के अन्दर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के पश्चात आवेदक को वापस कर दिया जायेगा।	(ङ) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति, ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा। लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के अन्दर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान पश्चात आवेदक को वापस कर दिया जायेगा।
(झ) आवेदक ऋणशोधनक्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधनक्षमता या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अवधारित बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस के योग के **1/6** भाग के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।	(झ) आवेदक ऋणशोधनक्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधनक्षमता या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अवधारित बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस के योग के **1/6** भाग के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।

5–नियम-**9** का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-**1** में दिये गये विद्यमान नियम-**9** के स्थान पर स्तम्भ-**2** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
9.लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति - देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होगे अर्थात्:-	**9.**लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति - देशी शराब की फुटकर बिक्री के **लाइसेंसधारियों** के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होगे अर्थात्:-

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(तीन)	आबकारी आयुक्त द्वारा नामित आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
(चार)	जिले का जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/सचिव

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	**सम्बन्धित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक से नीचे का न हो,**	सदस्य
(तीन)	आबकारी आयुक्त द्वारा नामित आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
(चार)	जिले का जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/सचिव

6-**नियम**-10 **का संशोधन** - उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
10-लाइसेंसधारी का चयन	10-लाइसेंसधारी का चयन
(क) (i) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन दुकान के लाइसेंस का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।	**(क)** (एक) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन दुकान के लाइसेंस का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।
(ii) नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन, आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी, आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और पत्र एवं अपात्र आवेदनों की सूची, अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।	**(दो)** नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन, आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी, आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और पत्र एवं अपात्र आवेदनों की सूची, अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) उक्त समिति आवंटन हेतु अर्ह एवं अनर्ह आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में उसी पूर्वोक्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष सम्पूर्ण राज्य में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।	(ख) उक्त समिति आवंटन हेतु अर्ह एवं अनर्ह आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में उसी पूर्वोक्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष सम्पूर्ण राज्य में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।
परन्तु यह कि उपर्युक्त निर्बंधन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाइसेंसों के नवीकरण के लिए लागू नही होगा।	परन्तु यह कि उपर्युक्त निर्बंधन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाइसेंसों के नवीकरण एवं **एवं लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में विधिक वारिस के पक्ष में लाइसेंस नवीकरण और लाइसेंस नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों** के लिए लागू नही होगा।
परन्तु यह और भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा।	परन्तु यह और कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा।
(ग) यदि चयनित आवेदक बेसिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताए पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।	(ग) यदि चयनित आवेदक बेसिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताए पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।
(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल उपाय करेगा।	(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल उपाय करेगा।

7-**नियम**-12 **का संशोधन**–उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
12-बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि का भुगतान- यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के 03 कार्य दिवसों के भीतर बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की सूचना के 10 कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। आवेदक द्वारा बेसिक लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि, सावधिजमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में जमा की जायेगी। यदि वह विहित अवधि में बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जो उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथा विहित तरीके से पुर्नव्यवस्थापित कर दिया जायेगा ।	**12-**बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि का भुगतान- यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के 03 कार्य दिवसों के भीतर बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की सूचना के 10 कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। आवेदक द्वारा बेसिक लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि, सावधि जमा रसीद/**बैंक गारंटी** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में जमा की जायेगी। **परन्तु,** यदि वह विहित अवधि के भीतर **आधारभूत** लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा; **परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा आधारभूत लाइसेंस फीस के साथ ही साथ प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पन्द्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व आधारभूत लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।**

8- नियम-**18** का संशोधन – उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-**1** में दिये गये विद्यमान नियम-**18** के स्थान पर स्तम्भ-**2** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
18.लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अवशेष स्टाक का निस्तारण-	18.लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अवशेष स्टाक का निस्तारण-
(i) लाइसेंसधारी द्वारा वर्ष में उठायी गयी देशी शराब की सम्पूर्ण मात्रा की बिक्री उसे उसके लाइसेंस की वैधता अवधि में ही करनी होगी और लाइसेंस की समाप्ति के बाद लाइसेंसधारी को उसे बेचने की अनुमति न होगी। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी शराब की अवशेष और अविक्रीत मात्रा, की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार घोषणा, जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष अगले दिन 12:00 बजे तक की जायेगी और लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिवस को 5.00 बजे अपरान्ह तक जिला के थोक लाइसेंसधारी को लौटा दी जायेगी। अवशेष स्टाक का रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा साथ ही अवशेष स्टाक को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	**(1)** लाइसेंसधारी द्वारा वर्ष में उठायी गयी देशी शराब की सम्पूर्ण मात्रा की बिक्री उसे उसके लाइसेंस की वैधता अवधि में ही करनी होगी और लाइसेंस की समाप्ति के बाद लाइसेंसधारी को उसे बेचने की अनुमति न होगी। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी शराब की अवशेष और अविक्रीत मात्रा, की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार घोषणा, जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष अगले दिन 12:00 बजे तक की जायेगी और लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिवस को 5.00 बजे अपरान्ह तक जिला के थोक लाइसेंसधारी को लौटा दी जायेगी। अवशेष स्टाक का रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा साथ ही अवशेष स्टाक को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
(ii) थोक लाइसेंस पर प्राप्त देशी शराब की ऐसी स्टाक की नीलामी आबकारी आयुक्त की अनुमति से उप आबकारी आयुक्त की उपस्थिति में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा की जायेगी। केवल पेय मदिरा आसवनियों को उपरोक्त नीलामी में सहभागिता की अनुमति दी जायेगी। नीलाम से प्राप्त धनराषि को लेखा-शीर्षक 8443 सुरक्षा और अन्य प्राप्तियाँ के अधीन जिला के कोशागार में जमा की जायेगी और इसके पश्चात् जमा धनराशि लागत मूल्य (जिसमें प्रतिफल फीस और अन्य कर सम्मिलित नही होगें) के रूप में देय धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित लाइसेंसधारियों को आनुपातिक रूप में वितरित की जायेगी। अवशेष देशी मदिरा की नीलामी हेतु इच्छुक आसवक उपलब्ध न होने पर लाइसेंसधारियों को कोई मूल्य देय नही होगा तथा अवशेष देशी मदिरा को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख-रेख में जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए नष्ट कर दिया जायेगा ।	**(2) फुटकर दुकानों पर उपलब्ध देशी मदिरा के अवशेष स्टाक** को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोंग्राफी कराते हुए नष्ट कर दिया जायेगा।

9-नियम-20 का संशोधन- उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
20- दुकानों का अन्तरिम व्यवस्थापन	20- दुकानों का अन्तरिम व्यवस्थापन
(क) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निलम्बन, निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में लाइसेंस प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी दरों पर दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस और समानुपातिक लाइसेंस फीस (दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस एवं अतिरिक्त प्रतिफल फीस) जो कि एक बार में न्यूनतम चौदह दिनों कि अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक, इसमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी, के भुगतान पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन सर्वोच्च आफर पर कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को प्रतिदिन की प्रत्याभूति मात्रा में निहित प्रतिफल फीस की धनराशि की दर से अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना होगा। परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त को पूर्व में सूचित किये बिना दो बार से अधिक नहीं किया जायेगा।	(**क**) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निलम्बन, निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में लाइसेंस प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी दरों पर दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस और समानुपातिक लाइसेंस फीस (दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस एवं अतिरिक्त प्रतिफल फीस) जो कि एक बार में **अधिकतम** चौदह दिनों कि अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक, इसमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी, के भुगतान पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन सर्वोच्च आफर पर कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को प्रतिदिन की प्रत्याभूति मात्रा में निहित प्रतिफल फीस की धनराशि की दर से अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना होगा। **लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित करना आवश्यक होगा।**
(ख) निकाल दिया गया।	(ख) निकाल दिया गया।
(ग) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में दुकान का मध्य-सत्र में नियमित व्यवस्थापन, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आयुक्त कार्यालय को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।	(ग) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में दुकान का मध्य-सत्र में नियमित व्यवस्थापन, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आयुक्त कार्यालय को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।

10-**प्रापत्र सी0एल0 5 ग और प्रपत्र सी0एल0 5 ग(1) का संशोधन** - उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र सी0एल0 5ग और सी0एल0 5ग(1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
देशी शराब-**5** ग	देशी शराब-**5** ग
(नवीकरण हेतु)	(नवीकरण हेतु)
भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों/टेट्रा पैक एवं पात्रों में तनु और तीव्र देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस	भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों/टेट्रा पैक एवं पात्रों में तनु और तीव्र देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस
आवेदक का फोटो सह आवेदक का फोटो दुकान का फोटो	आवेदक का फोटो सह आवेदक का फोटो दुकान का फोटो
दुकान का अक्षांश/देशान्तर ..... लाइसेंस संख्या ..... वर्ष ..... दुकान का नाम ..... जिला ..... बेसिक लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में). ..... (शब्दों में) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस की मासिक किस्त रू0 ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) ..... उत्तर.....दक्षिण:..... पूरब.....पश्चिम:..... लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते (1) ..... पुत्र ..... निवासी ..... (2) ..... पुत्र ..... निवासी ..... विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते (1).....पुत्र.....निवासी..... (2).....पुत्र.....निवासी..... (3).....पुत्र.....निवासी ..... (4).....पुत्र.....निवासी	दुकान का अक्षांश/देशान्तर ..... लाइसेंस संख्या ..... वर्ष ..... दुकान का नाम ..... जिला ..... बेसिक लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में). ..... (शब्दों में) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस की मासिक किस्त रू0 ..... (अंकों में)..... (शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) ..... उत्तर.....दक्षिण:..... पूरब.....पश्चिम:..... लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते (1) ..... पुत्र ..... निवासी ..... (2).....पुत्र.....निवासी.....

" **निकाल दिया गया** "

स्तम्भ-1 वियमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित तीब्रता एवं धारिता की तीब्र एवं तनु देशी शराब की 200 एम0एल0 धारिता की पेट/शीशे की बोतलों अथवा टेट्रापैक्स में फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस, ऊपर लाइसेंस धारकों को जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील..... के लिए दिनांक ..... से 31 मार्च 20..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 और नियम-12 के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, एतद्द्वारा निर्गत किया जाता है।	आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित तीब्रता एवं धारिता की तीब्र एवं तनु देशी शराब की **100 एम0एल0 एवं 200** एम0एल0 धारिता की पेट/शीशे की बोतलों अथवा टेट्रापैक्स में फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस, ऊपर लाइसेंस धारकों को जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिए दिनांक .....से **31** मार्च **20**..... तक के लिए जिसके लिए नियम-**6** और नियम-**12** के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, एतद्द्वारा निर्गत किया जाता है।
यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अध्यधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावल, 2002 (यथासंशोधित) के नियम-21 यथा में वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।	यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अध्यधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के नियम-21 यथा में वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।
निबन्धन एवं शर्ते	**निबन्धन एवं शर्ते**
1. नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् देशी शराब का उठान थोक अनुज्ञापन सी**0**एल**0**-2 के गोदाम से करेगा।	1. नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् देशी शराब का उठान थोक अनुज्ञापन सी**0**एल**0-2** के गोदाम से करेगा।
2. नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को लाइसेंस फीस की मासिक किस्त माह की अन्तिम तिथि तक जमा करनी होगी।	2. नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को लाइसेंस फीस की मासिक किस्त माह की अन्तिम तिथि तक जमा करनी होगी।
3. देशी शराब की पेट/शीशे की बोतलों/टेट्रा पैक्स की लेबुलों पर अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।	3. देशी शराब की पेट/शीशे की बोतलों/टेट्रा पैक्स की लेबुलों पर 1X1 **सेंटीमीटर के दृश्य अक्षरों में तीव्रता एवं** मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।
4. भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों/टेट्रा पैक्स में देशी स्प्रिट की बिक्री उसी गद्दी से होगी। परिसर के एक अंश को अलग रखा जायेगाए जहॉ केवल उपभोग के लिए अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिए भी खुली देशी स्प्रिट नहीं परोसी जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम **2016** के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों तथा टेट्रा पैक्स एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंस/ आसवक की होगी ।	4. भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों/टेट्रा पैक्स में देशी स्प्रिट की बिक्री उसी गद्दी से होगी। परिसर के एक अंश को अलग रखा जायेगा, जहॉ केवल उपभोग के लिए अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिए भी खुली देशी स्प्रिट नहीं परोसी जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम **2016** के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों तथा टेट्रा पैक्स एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंस/ आसवक की होगी ।

स्तम्भ-1 वियमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
5. विहित तीब्रता और मात्रा की देशी शराब की बिक्री 200 एम0एल0 की मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों एवं टेट्रा पैक्स में की जायेगीए जिस पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।	5. विहित तीब्रता और मात्रा की देशी शराब की बिक्री **100 एम0एल0 एवं** 200 एम**0**एल**0** की मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों एवं टेट्रा पैक्स में की जायेगी, जिस पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।
6. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगाए और उसे उत्तर प्रदेश आबकारी के पोर्टल पर भी एस.एम.एस. करेगा/अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी बिक्री इत्यादि का लेखा भी प्रस्तुत करेगा और यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों की सुविधा देगा और उन्हें उपलब्ध करायेगा।	6. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा, और उसे उत्तर प्रदेश आबकारी के पोर्टल पर भी एस.एम.एस. करेगा/अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी बिक्री इत्यादि का लेखा भी प्रस्तुत करेगा और यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों की सुविधा देगा और उन्हें उपलब्ध करायेगा।
7. देशी शराब की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	7. देशी शराब की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल(आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 8. लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल(आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनो जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिवसों पर से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।	8. लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल(आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनो जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिवसों पर से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
9. लाइसेंसधारी देशी शराब के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। वह ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिये दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखेगा।	9. लाइसेंसधारी देशी शराब के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। वह ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिये दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी**0**ओ**0**एस**0** (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखेगा।

स्तम्भ-1 वियमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साईन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-	10. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साईन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-
" > दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।	" > दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।
> शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"	> शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।“
11. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था कर सकता है। लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थो को पका कर उपलब्ध करा सकेगा।	11. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था कर सकता है। लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थो को पका कर उपलब्ध करा सकेगा।
12. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।	12. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।
13. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को 1.5 लीटर सादा व मसाला प्रत्येक तीव्रता की अलग-अलग से अधिक देशी शराब नहीं बेंचेगा जब तक कि आबकारी मैनुअल प्रथम खण्ड 1995 संस्करण के देशी शराब के आयात-निर्यात, परिवहन व कब्जे में रखने की नियमावली के नियम-28 (3) के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की गई हो।	13. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को **1.0** लीटर सादा व मसाला प्रत्येक तीव्रता की अलग-अलग से अधिक देशी शराब नहीं बेंचेगा जब तक कि आबकारी मैनुअल प्रथम खण्ड 1995 संस्करण के देशी शराब के आयात-निर्यात, परिवहन व कब्जे में रखने की नियमावली के नियम-28 (3) के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की गई हो।
14. किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो **21** वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो।	14. किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो।
15. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और पात्रों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।	15. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और पात्रों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

स्तम्भ-1 वियमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
16. लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।	16. लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
17. लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फिट की दूरी पर जहाँ विक्रय के लिए देशी शराब भण्डारित की गई है, पानी का रखना सर्वथा निषिद्ध है।	17. लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फिट की दूरी पर जहाँ विक्रय के लिए देशी शराब भण्डारित की गई है, पानी का रखना सर्वथा निषिद्ध है।
18. लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।	18. लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।
19. परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गए ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा कर डाल दिया जायेगाए जिसे कि विक्रय के निर्धारित घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।	19. परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गए ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा कर डाल दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय के निर्धारित घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।
20. लाइसेंसधारी/ विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।	20. लाइसेंसधारी/ विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।
21. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।	21. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।
22. लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-18 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।	22. लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-18 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
23. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।	23. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।
	24. लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा की बिक्री करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।
दिनांक ..... जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी	दिनांक ..... जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
देशी शराब-**5** ग(**1**)	देशी शराब-5 ग(1)
(नवीन लाइसेंस हेतु)	(नवीन लाइसेंस हेतु)
भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों/टेट्रा पैक एवं पात्रों में तनु और तीव्र देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस	भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों/टेट्रा पैक एवं पात्रों में तनु और तीव्र देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस
आवेदक का फोटो दुकान का फोटो	आवेदक का फोटो दुकान का फोटो
दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....	दुकान का अक्षांश/देशान्तर .....
लाइसेंस संख्या ..... वर्ष	लाइसेंस संख्या ..... वर्ष .....
दुकान का नाम.....जिला.....	दुकान का नाम ..... जिला .....
बेसिक लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में)	बेसिक लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में)
वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में). ..... (शब्दों में)	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में). ..... (शब्दों में)
मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस की मासिक किस्त रू0 ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में)	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस की मासिक किस्त रू0 ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में)
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)	भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....
उत्तर.....दक्षिण:.....	उत्तर.....दक्षिण:.....
पूरब.....पश्चिम:.....	पूरब.....पश्चिम:.....
लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते	लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते
(1).....पुत्र.....निवासी.....	(1).....पुत्र.....निवासी.....
(2).....पुत्र.....निवासी.....	(2).....पुत्र.....निवासी.....
विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते	''**निकाल दिया गया**''
(1).....पुत्र.....निवासी.....	
(2).....पुत्र.....निवासी.....	
(3).....पुत्र.....निवासी	
(4).....पुत्र.....निवासी	

स्तम्भ-1 वियमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित तीव्रता एवं धारिता की तीव्र एवं तनु देशी शराब की 200 एम0एल0 धारिता की पेट/शीशे की बोतलों अथवा टेट्रापैक्स में फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस, ऊपर लाइसेंस धारकों को जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिए दिनांक ..... से 31 मार्च 20..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 और नियम-12 के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, एत्दद्वारा निर्गत किया जाता है।	आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित तीव्रता एवं धारिता की तीव्र एवं तनु देशी शराब की **100 एम0एल0** एवं 200 एम0एल0 **की यथाविहित** धारिता की पेट/शीशे की बोतलों अथवा टेट्रापैक्स में फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस, ऊपर लाइसेंस धारकों को जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिए दिनांक ..... से 31 मार्च 20..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 और नियम-12 के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, एत्दद्वारा निर्गत किया जाता है।
यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा उ0प्र0 आबकारी (देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002; यथासंशोधित) के नियम-21 में वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।	यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अध्यधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002; यथासंशोधित) के नियम-21 यथा में वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।
निबन्धन एवं शर्ते 1. नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् देशी शराब का उठान थोक अनुज्ञापन सी0एल0.2 के गोदाम से करेगा। 2. नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को लाइसेंस फीस की मासिक किस्त माह की अन्तिम तिथि तक जमा करनी होगी। 3. देशी शराब की बोतलों/टेट्रा पैक्स की लेबुलों पर अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।	**निबन्धन एवं शर्ते** 1- नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् देशी शराब का उठान थोक अनुज्ञापन सी**0**एल0-2 के गोदाम से करेगा। 2- नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को लाइसेंस फीस की मासिक किस्त माह की अन्तिम तिथि तक जमा करनी होगी। 3- देशी शराब की पेट/शीशे की बोतलों/टेट्रा पैक्स की लेबुलों पर 1×**1 सैंटीमीटर के दृश्य अक्षरों में** अधिकतम् फुटकर मूल्य **एवं तीव्रता** मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम		स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4.	भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों/टेट्रा पैक्स में देशी स्प्रिट की बिक्री उसी गद्दी से होगी। परिसर के एक अंश को अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल उपभोग के लिए अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिए भी खुली देशी स्प्रिट नहीं परोसी जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों तथा टेट्रा पैक्स एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/ लाइसेंस/ आसवक की होगी ।	4-	भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों/टेट्रा पैक्स में देशी स्प्रिट की बिक्री उसी गद्दी से होगी। परिसर के एक अंश को अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल उपभोग के लिए अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिए भी खुली देशी स्प्रिट नहीं परोसी जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम **2016** के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों तथा टेट्रा पैक्स एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंस/ आसवक की होगी ।
5.	विहित तीव्रता और मात्रा की देशी शराब की बिक्री 200 एम0एल0 की मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों एवं टेट्रा पैक्स में की जायेगी, जिस पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।	**5-**	विहित तीव्रता और मात्रा की देशी शराब की बिक्री **यथानिर्धारित 100 एम0एल0 एवं 200** एम**0**एल**0** की मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों एवं टेट्रा पैक्स में की जायेगी, जिस पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।
6.	लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा, और उसे उत्तर प्रदेश आबकारी के पोर्टल पर भी एस.एम.एस. करेगा/अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी बिक्री इत्यादि का लेखा भी प्रस्तुत करेगा और यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों की सुविधा देगा और उन्हें उपलब्ध करायेगा।	6-	लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा, और उसे उत्तर प्रदेश आबकारी के पोर्टल पर भी एस.एम.एस. करेगा/अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी बिक्री इत्यादि का लेखा भी प्रस्तुत करेगा और यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों की सुविधा देगा और उन्हें उपलब्ध करायेगा।
7.	देशी शराब की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	**7-**	देशी शराब की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8.	लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल(आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनो जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिवसों पर से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।	8-	लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल(आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनो जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिवसों पर से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

स्तम्भ-1 वियमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
9. लाइसेंसधारी देशी शराब के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। वह ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिये दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी**0**ओ**0**एस**0** (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखेगा।	9- लाइसेंसधारी देशी शराब के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। वह ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिये दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी**0**ओ**0**एस**0** (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखेगा।
10. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाए भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साईन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-	10- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाए भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साईन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-
'' दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"	'' दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"
11- लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था कर सकता है। लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थो को पका कर उपलब्ध करा सकेगा।	11- लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था कर सकता है। लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थो को पका कर उपलब्ध करा सकेगा।
12- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।	12- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।
13- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को 1.5 लीटर सादा व मसाला प्रत्येक तीव्रता की अलग-अलग से अधिक देशी शराब नहीं बेंचेगा जब तक कि आबकारी मैनुअल प्रथम खण्ड 1995 संस्करण के देशी शराब के आयात-निर्यात, परिवहन व कब्जे में रखने की नियमावली के नियम-28 (3) के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की गई हो।	13- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को **1.0** लीटर सादा व मसाला प्रत्येक तीव्रता की अलग-अलग से अधिक देशी शराब नहीं बेंचेगा जब तक कि आबकारी मैनुअल प्रथम खण्ड **1995** संस्करण के देशी शराब के आयात-निर्यात, परिवहन व कब्जे में रखने की नियमावली के नियम-28 **(3)** के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की गई हो।
14- किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो।	14- किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो।

स्तम्भ-1 वियमान नियम	स्तम्भ-2 तदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
15- लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और पात्रों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।	15- लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और पात्रों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।
16- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।	16- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
17- लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से **5** फिट की दूरी पर जहाँ विक्रय के लिए देशी शराब भण्डारित की गई है, पानी का रखना सर्वथा निषिद्ध है।	17- लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से **5** फिट की दूरी पर जहाँ विक्रय के लिए देशी शराब भण्डारित की गई है, पानी का रखना सर्वथा निषिद्ध है।
18- लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।	18- लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।
19- परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गए ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा कर डाल दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय के निर्धारित घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।	19- परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गए ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा कर डाल दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय के निर्धारित घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।
20- लाइसेंसधारी/ विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।	20- लाइसेंसधारी/ विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।
21- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।	21- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।
22- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-18 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।	22- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-18 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
23- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।	23- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।
	24- **लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।**
दिनांक ..... जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी	दिनांक ..... जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी

आज्ञा से,
(सेंथिल पांडियन सी0)
आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 2957 /X-Licence-59/ Country Liquor /2022-23

Prayagraj, dated: May 27, 2022

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 24 and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2002 published vide Excise Commissioner notification no. 27091/X- Licenes-59/2002-2003, dated March 14, 2002 and as amended time to time.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENSES FOR RETAIL SALE OF COUNTRY LIQUOR) (**FIFTEENTH** AMENDMENT) Rules**, 2022**

1. Short title and Commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Country Liquor) **(Fifteenth Amendment) Rules, 2022.**

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendement of rule-2– In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2002, hereinafter referred to as the said rules, for rule 2 setout in Column-1 below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
2-Definitions In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:- (a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time. (b) "Annual Minimum Guaranteed Quantity (MGQ)", means the quantity of "Strong" country liquor (in terms of 36% v/v) as fixed by the Licensing Authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during an excise year for the purpose of retail sale. However if any license is granted after the commencement of the excise year then its annual minimum guaranteed quantity shall be reduced proportionately in accordance to the number of days remaining in the excise year. (c) "Basic License Fee" means that part of consideration fee for the grant of license for the exclusive privilege of retail sale of country liquor under section- 24 of the Act, payable by the person selected as licensee before the license is granted to him, for the whole excise year or part thereof on such rates as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time: Provided that if settlement is done in mid session the basic license fee will be in proportion to remaining minimum guaranteed quantity. (d) "Country Liquor" includes country spirit "mild" or "strong" manufactured from Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time and U.P. Made Liquor (U.P.M.L.).	**2-Definitions** In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:- (a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time. (b) "Annual Minimum Guaranteed Quantity (MGQ)", means the quantity of "Strong" country liquor (in terms of 36% v/v) as fixed by the Licensing Authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during an excise year for the purpose of retail sale. However if any license is granted after the commencement of the excise year then its annual minimum guaranteed quantity shall be reduced proportionately in accordance to the number of days remaining in the excise year. (c) "Basic License Fee" means that part of consideration fee for the grant of license for the exclusive privilege of retail sale of country liquor under section- 24 of the Act, payable by the person selected as licensee before the license is granted to him, for the whole excise year or part thereof on such rates as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time: Provided that if settlement is done in mid session the basic license fee will be in proportion to remaining minimum guaranteed quantity. (d) "Country Liquor" includes country spirit "mild" or "strong" manufactured from Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time and U.P. Made Liquor (U.P.M.L.).

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(e) "Daily Basic License Fee" means that part of consideration fee which is payable by the grantee in interim license on such rate as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government.	(e) "Daily Basic License Fee" means that part of consideration fee which is payable by the grantee in interim license on such rate as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government.
(f) "Daily Minimum Guaranteed Quantity" shall be 1/365th part of annual minimum guaranteed quantity.	(f) "Daily Minimum Guaranteed Quantity" shall be 1/365th part of annual minimum guaranteed quantity.
(g)"Excise Year" means the financial year commencing on 1st April to 31st March of the next calendar year.	(g)"Excise Year" means the financial year commencing on 1st April to 31st March of the next calendar year.
(h) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;	(h) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;
(i) "Form" means a form appended to these Rules;	(i) "Form" means a form appended to these Rules;
(j) "Licensing Authority" means the Collector of the District;	(j) "Licensing Authority" means the Collector of the District;
(k) "License Fee" means the remaining part of consideration fee for grant of license for exclusive privilege of retail sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the licensee, in addition to the basic license fee. This sum shall be equal to the consideration fee leviable on the annual minimum guaranteed quantity fixed for the shop. Provided that if settlement is done in mid session it will be equal to consideration fee leviable on minimum guaranteed quantity.	(k) "License Fee" means the remaining part of consideration fee for grant of license for exclusive privilege of retail sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the licensee, in addition to the basic license fee. This sum shall be equal to the consideration fee leviable on the annual minimum guaranteed quantity fixed for the shop. Provided that if settlement is done in mid session it will be equal to consideration fee leviable on minimum guaranteed quantity.
(l) "Monthly Installments of License Fee" It shall be in addition to basic license fee which shall be equal to the consideration fee involved in the minimum guaranteed quantity of a month fixed by the licensing authority and shall be payable every month. However the consideration fee involved in the quantity of the country liquor lifted during the month by the licensee, may be adjusted against the monthly installments of the licence fee subject to the provisions of these rules;	(l) "Monthly Installments of License Fee" It shall be in addition to basic license fee which shall be equal to the consideration fee involved in the minimum guaranteed quantity of a month fixed by the licensing authority and shall be payable every month. However the consideration fee involved in the quantity of the country liquor lifted during the month by the licensee, may be adjusted against the monthly installments of the licence fee subject to the provisions of these rules;
(m) "Monthly Minimum Guaranteed Quantity"-; Annual Minimum Guaranteed quantity shall be apportioned into twelve equal parts. Quantity obtained from such calculation shall be minimum guaranteed quantity;	(m) "Monthly Minimum Guaranteed Quantity"-; Annual Minimum Guaranteed quantity shall be apportioned into twelve equal parts. Quantity obtained from such calculation shall be minimum guaranteed quantity;
(n) "Security amount" means a sum equal to the 1/10th part of the license fee excluding basic license fee, to be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government. Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded;	(n) "Security amount" means a sum equal to the 1/10th part of the license fee excluding basic license fee, to be deposited through Fixed Deposit Receipt / **Bank Guarantee** pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government. Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded;

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(o) "Consideration fee" means a fee fixed, per liter by the State Government under Section 30 of the Excise Act according to the strength of the country liquor to be deposited in the Government Treasury by the licensee before taking supply of country liquor;	(o) "Consideration fee" means a fee fixed, per liter by the State Government under Section 30 of the Excise Act according to the strength of the country liquor to be deposited in the Government Treasury by the licensee before taking supply of country liquor;
(p) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the optimum retail price of country liquor to the next multiple of five rupees, which shall be payable at Distillery level and recoverable by distillery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price. But this amount of additional consideration fee shall not be adjusted against the license fee payable by retail licensee;	(p) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the optimum retail price of country liquor to the next multiple of five rupees, which shall be payable at Distillery level and recoverable by distillery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price. But this amount of additional consideration fee shall not be adjusted against the license fee payable by retail licensee;
(q) "Earnest Money" means the amount equal to 1/10 of the amount of basic license fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules;	(q) "Earnest Money" means the amount equal to 1/10 of the amount of basic license fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules;
(r) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;	(r) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;
(s) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;	(s) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;
(t) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license;	(t) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license;
(u) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years;	(u) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years;
(v) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year.	(v) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year.
(w) "U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)" means country spirit manufactured from grain Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time.	(w) "U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)" means country spirit manufactured from grain Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time.
(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.	(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3.Amendement of rule-6–In the said rules, for existing rule 6 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
6. Grant of licence	**6. Grant of licence**
The licence shall be issued on payment of basic licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules.	The licence shall be issued on payment of basic licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt/ **Bank Guarantee** pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules.
Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.	Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.

4. Amendment of rule-8–In the said rules, for existing rule 8 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
8-Eligibility conditions for applicants- Eligible applicants for license of a retail country liquor shop must fulfill the following conditions namely-	8-Eligibility conditions for applicants- Eligible applicants for license of a retail country liquor shop must fulfill the following conditions namely-
a) Application by an individual who is a citizen of India. Provided, in case of renewal co-applicant, if any and who is a citizen of India, shall also be allowed.	a) Application by an individual who is a citizen of India. Provided, in case of renewal co-applicant, if any and who is a citizen of India, shall also be allowed.
No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/ Manufacturer of liquor shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop.	No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/ Manufacturer of liquor shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop.
No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license.	No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license.
Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the legal heir (s) of deceased if otherwise eligible, may continue to hold the license or in case of death of both persons their legal heir(s), if otherwise eligible may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible:	Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the legal heir (s) of deceased if otherwise eligible, may continue to hold the license or in case of death of both persons their legal heir(s), if otherwise eligible may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible:
(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application.	(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application.
(c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under Act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license.	(c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under Act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible for applying and their mutual consent shall be essential for renewal.	(cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible for applying and their mutual consent shall be essential for renewal.
(d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely-	(d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely-
(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop, Rules, 1968 as amended from time to time.	(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop, Rules, 1968 as amended from time to time.
(ii) that his proposed premises of the shop has not been constructed in violation of any law or rules.	(ii) that his proposed premises of the shop has not been constructed in violation of any law or rules.
(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background not have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence.	(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background not have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence.
(iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by Senior Superintendent/ Superintendent of Police of the district of which he is resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.	(iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by **the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate** of which he is resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.
(v) that he shall not employ any salesmen or representative who has criminal background as mentioned in clauses (iii) or who suffers from any infectious or contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.	(v) that he shall not employ any salesmen or representative who has criminal background as mentioned in clauses (iii) or who suffers from any infectious or contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.
(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues.	(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues.
(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to the licensing authority.	(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to the licensing authority.
(viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities. If after issuance of license it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled.	(viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities. If after issuance of license it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled.
(ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the license then the license shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence.	(ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the license then the license shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(x) that In case of selection as licensee, bank draft of earnest money, which has been uploaded online along with application, shall be deposited in the office of District Excise Officer within 48 hours of such selection.	(x) that In case of selection as licensee, bank draft of earnest money, which has been uploaded online along with application, shall be deposited in the office of District Excise Officer within 48 hours of such selection.
(xi) that he has not made use of the earnest money bank draft for application of any other shop in the same phase.	(xi) that he has not made use of the earnest money bank draft for application of any other shop in the same phase.
(e) that he shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of concerned shop of the district for fixed earnest money along with online application as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government. In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty-eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.	(e) that he shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of concerned shop of the district for fixed earnest money along with online application as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government. In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty-eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.
(f) That he is holder of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer and the worth of solvency or property certificate issued by Income Tax valuer shall be not less than the equivalent amount of 1/6 part of sum of basic license fee and license fee determined for the grant of licence of the shop applied in the district. Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.	(f) That he is holder of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer and the worth of solvency or property certificate issued by Income Tax valuer shall be not less than the equivalent amount of 1/6 part of sum of basic license fee and license fee determined for the grant of licence of the shop applied in the district. Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

5.Amendement of rule 9– In the said rules, for existing rule-14 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I

Existing rule

9. District Level Committee for Licensing-

There shall be a District Level Committee for selection of licensees for retail sale of country liquor. The committee shall consist of the following members, namely-

(i)	The Collector of the District -	Chairman
(ii)	The Senior Superintendent Of Police/ the Superintendent of Police of the District	Member
(iii)	One Gazetted Officer of Excise Department nominated by the Excise Commissioner	Member
(iv)	The District Excise Officer of the District	Member / Secretary

Column II

Rule as hereby substituted

9. District Level Committee for Licensing-

There shall be a District Level Committee for selection of licensees for retail sale of country liquor. The committee shall consist of the following members, namely-

(i)	The Collector of the District -	Chairman
(ii)	**The Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police of the concerning district or an Officer not below the rank of Assistant Commissioner of Police nominated by the Police Commissioner of the concerning Police Commissionerate.**	Member
(iii)	One Gazetted Officer of Excise Department nominated by the Excise Commissioner	Member
(iv)	The District Excise Officer of the District	Member/ Secretary

6. Amendement of rule-10–In the said rules, for existing rule 10 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
10- Selection of licensee-	10- Selection of licensee-
(a) (i) License of shop may be renewable online under the terms and conditions specified by the State Government.	(a) (i) License of shop may be renewable online under the terms and conditions specified by the State Government.
(ii) In case of non-renewal, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender, as specified by the State Government, through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender.	(ii) In case of non-renewal, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender, as specified by the State Government, through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender.
(b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, model shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State.	(b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, model shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State.
Provided that aforesaid restriction limit shall not be applicable to the renewal of licenses as per the criteria laid down by the State Government.	Provided that aforesaid restriction limit shall not be applicable to **matter related to renewal of licenses and mutation of licence in favor of legal heir in the event of death of licencee as** per the criteria laid down by the State Government.
Provided also that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire state, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery.	Provided also that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire state, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery.
(c) In case the selected applicants does not deposit the required basic licence fee or security amount and does not fulfill the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premises for the shop within the stipulated period, the Licensing Authority shall cancel the allotment and take steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.	(c) In case the selected applicants does not deposit the required basic licence fee or security amount and does not fulfill the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premises for the shop within the stipulated period, the Licensing Authority shall cancel the allotment and take steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.
(d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the State Government.	(d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the State Government.

7. Amendment of rule-12 – In the said rules, for existing rule 12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
12. Payment of Basic License fee & Security amount- In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of basic license fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of basic license fee shall be deposited by the applicant preferably through e-payment. Security amount shall be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment. Provided, in case of renewal, security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded. In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter of consumption as fixed by the State Government. Difference amount of basic license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government. If he fails to deposit the amount of the basic license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled and his earnest money and basic license fee as well as the security amount deposited by him, shall be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith in manner as prescribed by the Government.	12. Payment of Basic License fee & Security amount- In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of basic license fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of basic license fee shall be deposited by the applicant preferably through e-payment. Security amount shall be deposited through Fixed Deposit Receipt/ **Bank Guarantee** pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment. Provided, in case of renewal, security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded. In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter of consumption as fixed by the State Government. Difference amount of basic license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government. **Provided,** if he fails to deposit the amount of **basic** license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled; **Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and basic license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteenth percent of security amount of last year along with renewal fee and basic licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.**

8. Amendment of rule-18– In the said rules, for existing rule 18 set out in Column- I below,the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
18. Disposal of balance stock left at the expiry of the license- (1) Entire quantity of country liquor lifted by the licensee during the year shall have to be sold during the validity of his license and the licensee shall not be permitted to sell it after expiry of the license. Any balance of country liquor quantity found outstanding and unsold at the expiry of the term of license shall be declared by the licensee brand wise, volume wise, intensity wise and packaging wise before the District Excise Officer on the next day by 12 p.m. and shall be returned by him to the wholesale shop of the District by 5.00 p.m: of the next date of expiry of license. Separate register shall be maintained for balance stock. Moreover, the balance stock shall be uploaded on portal by the District Excise Officer.	18. Disposal of balance stock left at the expiry of the license- (1) Entire quantity of country liquor lifted by the licensee during the year shall have to be sold during the validity of his license and the licensee shall not be permitted to sell it after expiry of the license. Any balance of country liquor quantity found outstanding and unsold at the expiry of the term of license shall be declared by the licensee brand wise, volume wise, intensity wise and packaging wise before the District Excise Officer on the next day by 12 p.m. and shall be returned by him to the wholesale shop of the District by 5.00 p.m: of the next date of expiry of license. Separate register shall be maintained for balance stock. Moreover, the balance stock shall be uploaded on portal by the District Excise Officer.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(2) Such stock of country liquor received at wholesale license shall be auctioned by the District Excise Officer in presence of Deputy Excise Commissioner under the permission of the Excise. Commissioner. Only potable distilleries shall be permitted to participate in the aforesaid auction. Amount obtained from auction shall be deposited in the Treasury of the District under Head of Account 8443 Security and Other receipts and thereafter deposited amount shall be proportionately distributed to the concerning licensees against the amount due as cost price (excluding consideration fee and other taxes). Consequent upon non availability of distillers willing for auction of reninant quantity of country liquor licensees shall not be liable for payment of any price and remnant quantity of country liquor shall be destroyed, under videography, by a Joint Committee of District Excise Officer and local Sub-Divisional Magistrate in the presence of the Deputy Excise Commissioner of the charge.	**(2) The remainig stock available on retail Country liquor shops** shall be destroyed, under videography, by a Joint Committee of District Excise Officer and local Sub-Divisional Magistrate in the presence of the Deputy Excise Commissioner of the charge.

9. Amendment of rule-20–In the said rules, for existing rule 20 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
20. Interim Settlement of shop-	20. Interim Settlement of shop-
(a) In case a license is suspended cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reasons the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily basic license fee, on such rates as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the Government, and proportionate license fee (consideration fee and additional consideration fee involved in daily minimum guaranteed quantity) for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through the manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit refundable/ adjustable security amount equivalent to the duty involved in daily minimum guaranteed quantity for the period of interim settlement. Provided that no such settlement of a shop shall be made by the licensing authority for more than two times except with prior intimation to the Excise Commissioner	(a) In case a license is suspended cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reasons the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily basic license fee, on such rates as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the Government, and proportionate license fee (consideration fee and additional consideration fee involved in daily minimum guaranteed quantity) for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through the manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit refundable/ adjustable security amount equivalent to the duty involved in daily minimum guaranteed quantity for the period of interim settlement. **Such settlement of shop can be done more than twice by the licencing authority ,but in such situation it will be essential to inform the Excise Commissioner**
(b) omitted	(b) omitted
(c) In case any license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid-session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to headquarter.	(c) In case any license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid-session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to headquarter.

10. Amendment of Form CL- 5C and form C.L.5C(1) – In the said rules, for existing Forms CL-5C and C.L.5C (1)set out in Column-I below, the forms as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
C.L.5-C (For renewal purpose) License for the Retail Sale of "Mild" & "Strong" Country Liquor in sealed Bottles & Container for Consumption "On" and "Off" the premises.	C.L.5-C (For renewal purpose) License for the Retail Sale of "Mild" & "Strong" Country Liquor in sealed Bottles/tetra packs & Container for Consumption "On" and "Off" the premises.
Photo of applicant | Photo of co-applicant	Photo of applicant | Photo of co-applicant
Photo of shop	Photo of shop
Latitude/longitude of shop…….	Latitude/longitude of shop…….
License No…….....…year…..... Name of Shop…….....…District…… Basic License fee Rs …….....….. (in figures) …….....…. (in words) Annual Minimum Guaranteed Quantity…… bulk litres (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v) License fee Rs….....….(in figures)…..... (in words) Monthly Minimum Guaranteed Quantity …….....… bulk litres (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v) Monthly installment of license fee Rs. …… (in figures) …….....… in words) Description of premises (with boundaries) North……South…… East……West……	License No…….....…year…..... Name of Shop…….....……District…… Basic License fee Rs…….....…….. (in figures) …….....…. (in words) Annual Minimum Guaranteed Quantity …… bulk litres (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v) License fee Rs…….....…. (in figures) ……..... (in words) Monthly Minimum Guaranteed Quantity …….....… bulk litres (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v) Monthly installment of license fee Rs. …...… (in figures) …….....… in words) Description of premises (with boundaries) North……South…… East……West……
Name, Father's Name & Address of Licensee(s) 1……S/o ……R/o…….. 2……S/o ……R/o……....	Name, Father's Name & Address of Licensee(s) 1……S/o ……R/o…….. 2……S/o ……R/o…….....
Name, Father's Name & Address of Salesmen 1……S/o ……R/o……..... 2……S/o ……R/o……..... 3……S/o ……R/o……..... 4……...S/o ……R/o…….....	**"OMITTED"**
License for the retail sale of "strong" and mild Country Liquor in 200ml pet/glass bottles or tetrapacks of strength and as prescribed by the Excise Commissioner is hereby issued to above license holder(s). at …….(place) in P.S. ……. Tahsil…….in the District of ……..w.e.f. from ……to March, 31, 20……..for which basic license fee and security deposit has been paid in accordance with Rule-6 and Rule-12.	License for the retail sale of "strong" and mild Country Liquor in **100 ml and** 200ml pet/glass bottles or tetrapacks of strength and as prescribed by the Excise Commissioner is hereby issued to above license holder(s). at …….(place) in P.S. ……. Tahsil…….in the District of ……..w.e.f. from ……to March, 31, 20……..for which basic license fee and security deposit has been paid in accordance with Rule-6 and Rule-12.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
The License is subject to the following terms and conditions the infraction of any of which or violation of the provisions as expounded in Rule-21 of U.P. Excise (Settlement of licenses for retail sale of country liquor) rules- 2002 (as amended) or conviction for any offence under the U.P. Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the license and forfeiture of security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.	The License is subject to the following terms and conditions the infraction of any of which or violation of the provisions as expounded in Rule-21 of U.P. Excise (Settlement of licenses for retail sale of country liquor) rules- 2002 (as amended) or conviction for any offence under the U.P. Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the license and forfeiture of security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.
TERMS AND CONDITIONS	**TERMS AND CONDITIONS**
1. The licensee shall lift country liquor from CL-2 Godown of wholesale licensee after payment of cost and consideration fee in accordance with the provisions of rule-13 preferably by e-payment.	1. The licensee shall lift country liquor from CL-2 Godown of wholesale licensee after payment of cost and consideration fee in accordance with the provisions of rule-13 preferably by e-payment.
2. The licensee is liable to pay the monthly installment of license fee by the last day of the month in accordance with the provisions of rule-14.	2. The licensee is liable to pay the monthly installment of license fee by the last day of the month in accordance with the provisions of rule-14.
3. Maximum Retail Price shall be printed on the label of pet/glass bottles/ tetrapacks of country liquor. The retail licensee shall not charge more than the printed maximum retail price.	3. Maximum Retail Price **and strength** shall be printed **in visible words of 1x1 centimeter** on the label **of** pet/glass bottles/ tetrapacks of country liquor. The retail licensee shall not charge more than the printed maximum retail price.
4. The Sale of Country Spirit in sealed pet/glass bottles /tetrapacks for consumption both "on" and "off" the premises shall be allowed from the same Gaddi. A portion of the premises shall be set apart where only "on" consumption shall be permitted. Even for "on" consumption the country spirit shall not be served loose and licensee/salesman/ distiller shall be responsible for disposing of pet/glass bottles and tetrapacks as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per Solid Waste Management (SWM) Rules, 2016.	4. The Sale of Country Spirit in sealed pet/glass bottles /tetrapacks for consumption both "on" and "off" the premises shall be allowed from the same Gaddi. A portion of the premises shall be set apart where only "on" consumption shall be permitted. Even for "on" consumption the country spirit shall not be served loose and licensee/salesman/ distiller shall be responsible for disposing of pet/glass bottles and tetrapacks as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per Solid Waste Management (SWM) Rules, 2016.
5. The sales shall be made in 200 ml sealed pet/glass bottles and tetrapacks of country liquor of prescribed strength carrying security Code as approved by the Excise Department, as proof of payment of consideration fees.	5. The sales shall be made in **100 ml and** 200 ml sealed pet/glass bottles and tetrapacks of country liquor of prescribed strength carrying security Code as approved by the Excise Department, as proof of payment of consideration fees.
6. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register as prescribed by the Licensing Authority and SMS upload the same on Uttar Pradesh Excise portal be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.	6. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register as prescribed by the Licensing Authority and SMS upload the same on Uttar Pradesh Excise portal be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
7. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Country Liquor for which license is granted.	7. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Country Liquor for which license is granted.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
8. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closures by the Licensing Authority, Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No Consideration fee shall be given for the closure of shop on above dates/days.	8. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closures by the Licensing Authority, Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No Consideration fee shall be given for the closure of shop on above dates/days.
9. The licensee shall store entire stock of Country Liquor in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S (point of sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.	9. The licensee shall store entire stock of Country Liquor in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S (point of sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.
10. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of the shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.	10. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of the shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.
The signboard shall also display the following information :-	The signboard shall also display the following information :-
“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.	“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.
>Drunken driving can be fatal. Please do not drink and drive.”	>Drunken driving can be fatal. Please do not drink and drive.”
11. The licensee may provide within the licensed premises a reasonable seating accommodation i.e. a sufficient number of benches, "takhats", chairs and tables etc. and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.	11. The licensee may provide within the licensed premises a reasonable seating accommodation i.e. a sufficient number of benches, "takhats", chairs and tables etc. and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.
12. The Licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious diseases, has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.	12. The Licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious diseases, has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
13. The licensee shall not sell to any person more than 1.5 litres of plain and spiced country liquor of different strength separately except under permission granted in accordance to Rule 28(3) of rules relating to import, export transit and custody of country liquor under the provisions of Excise Manual Volume-1 (1995 edition).	13. The licensee shall not sell to any person more than **1.0** litres of plain and spiced country liquor of different strength separately except under permission granted in accordance to Rule 28(3) of rules relating to import, export transit and custody of country liquor under the provisions of Excise Manual Volume-1 (1995 edition).

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
14. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years or any official in uniform.	14. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years or any official in uniform.
15. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or with their labels, security Code, Pilfer proof caps or seals.	15. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or with their labels, security Code, Pilfer proof caps or seals.
16. The licensee shall not keep in his licensed premises any caramel, colour, essence, security Code making apparatus, labels, capsules, seals or any other noxious material.	16. The licensee shall not keep in his licensed premises any caramel, colour, essence, security Code making apparatus, labels, capsules, seals or any other noxious material.
17. The licensee or his salesmen are strictly prohibited from keeping water on the Gaddi of the shop or within 5 feet of the place where Country Liquor is stored or kept for sale.	17. The licensee or his salesmen are strictly prohibited from keeping water on the Gaddi of the shop or within 5 feet of the place where Country Liquor is stored or kept for sale.
18. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness including its drain etc. which shall be kept disinfected.	18. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness including its drain etc. which shall be kept disinfected.
19. All kujjar, pattals etc. used in the premises shall be removed immediately to specially erected empty receptacles or bins with a cover kept for this purpose which shall be cleaned at least twice during the sale hours.	19. All kujjar, pattals etc. used in the premises shall be removed immediately to specially erected empty receptacles or bins with a cover kept for this purpose which shall be cleaned at least twice during the sale hours.
20. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.	20. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.
21. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programmes are strictly forbidden.	21. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programmes are strictly forbidden.
22. The licensee shall on expiry of the license, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Rule-18.	22. The licensee shall on expiry of the license, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Rule-18.
23. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.	23. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
	24. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.
Date……...	Date……...
District……	District……
Licensing Authority	Licensing Authority

Column I

Existing rule

C.L.5 C (1)
(For new license)

License for the Retail Sale of "Mild" & "Strong" Country Liquor in sealed Bottles & Container for Consumption "On" and "Off" the premises.

Photo of applicant	Photo of shop

Latitude/longitude of shop……….

License No……….................................…year…...............

Name of Shop………......................…District………....…

Basic License fee Rs……………...................….. (in figures) …………………..…. (in words)

Annual Minimum Guaranteed Quantity……… bulk liters (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v)

License fee Rs ……....................................... (in figures) …... (in words)

Monthly Minimum Guaranteed Quantity………bulk liters (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v)

Monthly installment of license fee Rs. ……… (in figures) ……..… in words)

Description of premises (with boundaries)

North ………………...............… South ……….........…

East ………………................…… West ……......………

Name, Father's Name & Address of Licensee

………………S/o ………R/o.………..

Name, Father's Name & Address of Salesmen

1……………S/o ………R/o………....

2……………S/o ………R/o……........

License for the retail sale of "strong" and mild Country Liquor in 200ml pet/glass bottles or tetrapacks of strength and as prescribed by the Excise Commissioner is hereby issued to above license holder(s). at …………….(place) in P.S. ……………. Tahsil…………….in the District of ………..w.e.f. from ………….to March, 31, 20…………..for which basic license fee and security deposit has been paid in accordance with Rule-6 and Rule-12.

Column II

Rule as hereby substituted

C.L.5 C (1)
(For new license)

License for the Retail Sale of "Mild" & "Strong" Country Liquor in sealed Bottles/Tetrapacks & Container for Consumption "On" and "Off" the premises.

Photo of applicant	Photo of shop

Latitude/longitude of shop……….

License No……….............................…year…..................

Name of Shop………………… District ……......……

Basic License fee Rs……………................. (in figures) …………………...… (in words)

Annual Minimum Guaranteed Quantity ……… bulk litres (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v)

License fee Rs……............................... (in figures) …... (in words)

Monthly Minimum Guaranteed Quantity ……...bulk litres

(in terms of "strong" country liquor of 36% v/v)

Monthly installment of license fee Rs. ….…… (in figures) ……...… in words)

Description of premises (with boundaries)

North………………… South …………

East…………………..… West ……………

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)

1……………… S/o …….........… R/o ……….......

2……………...... S/o ……….......… R/o …........….....

"OMITTED"

License for the retail sale of "strong" and mild Country Liquor in **100 ml and** 200ml pet/glass bottles or tetrapacks of strength and as prescribed by the Excise Commissioner is hereby issued to above license holder(s). at …………….(place) in P.S. ……………. Tahsil…………….in the District of ………..w.e.f. from ………….to March, 31, 20…………..for which basic license fee and security deposit has been paid in accordance with Rule-6 and Rule-12.

Column I

Existing rule

The License is subject to the following terms and conditions the infraction of any of which or violation of the provisions as expounded in Rule-21 of U.P. Excise (Settlement of licenses for retail sale of country liquor) rules- 2002 (as amended) or conviction for any offence under the U.P. Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the license and forfeiture of security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

TERMS AND CONDITIONS

1. The licensee shall lift country liquor from CL-2 Godown of wholesale licensee after payment of cost and consideration fee in accordance with the provisions of rule-13 preferably by e-payment.

2. The licensee is liable to pay the monthly installment of license fee by the last day of the month in accordance with the provisions of rule-14.

3. Maximum Retail Price shall be printed on the label of bottles/ tetrapacks of country liquor. The retail licensee shall not charge more than the printed maximum retail price.

4. The Sale of Country Spirit in sealed bottles/tetrapacks for consumption both "on" and "off" the premises shall be allowed from the same Gaddi. A portion of the premises shall be set apart where only "on" consumption shall be permitted. Even for "on" consumption the country spirit shall not be served loose and licensee/salesman/ distiller shall be responsible for disposing of pet/glass bottles and tetrapacks as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per Solid Waste Management (SWM) Rules, 2016.

5. The sales shall be made in 200 ml sealed pet/glass bottles and tetrapacks of country liquor of prescribed strength carrying security Code as approved by the Excise Department, as proof of payment of consideration fees.

6. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register as prescribed by the Licensing Authority and SMS upload the same on Uttar Pradesh Excise portal be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

7. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Country Liquor for which license is granted.

Column II

Rule as hereby substituted

The License is subject to the following terms and conditions the infraction of any of which or violation of the provisions as expounded in Rule-21 of U.P. Excise (Settlement of licenses for retail sale of country liquor) rules- 2002 (as amended) or conviction for any offence under the U.P. Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the license and forfeiture of security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

TERMS AND CONDITIONS

1. The licensee shall lift country liquor from CL-2 Godown of wholesale licensee after payment of cost and consideration fee in accordance with the provisions of rule-13 preferably by e-payment.

2. The licensee is liable to pay the monthly installment of license fee by the last day of the month in accordance with the provisions of rule-14.

3. Maximum Retail Price **and strength** shall be printed on the label **in visible words of 1x1 centimeter at** pet/glass bottles/ tetrapacks of country liquor. The retail licensee shall not charge more than the printed maximum retail price.

4. The Sale of Country Spirit in sealed pet/glass bottles /tetrapacks for consumption both "on" and "off" the premises shall be allowed from the same Gaddi. A portion of the premises shall be set apart where only "on" consumption shall be permitted. Even for "on" consumption the country spirit shall not be served loose and licensee/salesman/ distiller shall be responsible for disposing of pet/glass bottles and tetrapacks as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per Solid Waste Management (SWM) Rules, 2016.

5. The sales shall be made in **100 ml and** 200 ml sealed pet/glass bottles and tetrapacks of country liquor of prescribed strength carrying security Code as approved by the Excise Department, as proof of payment of consideration fees.

6. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register as prescribed by the Licensing Authority and SMS upload the same on Uttar Pradesh Excise portal be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

7. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Country Liquor for which license is granted.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
8. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closures by the Licensing Authority, Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No Consideration fee shall be given for the closure of shop on above dates/days.	8. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closures by the Licensing Authority, Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No Consideration fee shall be given for the closure of shop on above dates/days.
9. The licensee shall store entire stock of Country Liquor in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S (point of sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.	9. The licensee shall store entire stock of Country Liquor in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S (point of sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.
10. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of the shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard shall also display the following information :- ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal. Please do not drink and drive."	10. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of the shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard shall also display the following information :- ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal. Please do not drink and drive."
11. The licensee may provide within the licensed premises a reasonable seating accommodation i.e. a sufficient number of benches, "takhats", chairs and tables etc. and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.	11. The licensee may provide within the licensed premises a reasonable seating accommodation i.e. a sufficient number of benches, "takhats", chairs and tables etc. and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.
12. The Licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious diseases, has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.	12. The Licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious diseases, has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
13. The licensee shall not sell to any person more than 1.5 litres of plain and spiced country liquor of different strength separately except under permission granted in accordance to Rule 28(3) of rules relating to import, export transit and custody of country liquor under the provisions of Excise Manual Volume-1 (1995 edition).	13. The licensee shall not sell to any person more than **1.0** litres of plain and spiced country liquor of different strength separately except under permission granted in accordance to Rule 28(3) of rules relating to import, export transit and custody of country liquor under the provisions of Excise Manual Volume-1 (1995 edition).

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
14. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years or any official in uniform.	14. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years or any official in uniform.
15. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or with their labels, security Code, Pilfer proof caps or seals.	15. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or with their labels, security Code, Pilfer proof caps or seals.
16. The licensee shall not keep in his licensed premises any caramel, colour, essence, security Code making apparatus, labels, capsules, seals or any other noxious material.	16. The licensee shall not keep in his licensed premises any caramel, colour, essence, security Code making apparatus, labels, capsules, seals or any other noxious material.
17. The licensee or his salesmen are strictly prohibited from keeping water on the Gaddi of the shop or within 5 feet of the place where Country Liquor is stored or kept for sale.	17. The licensee or his salesmen are strictly prohibited from keeping water on the Gaddi of the shop or within 5 feet of the place where Country Liquor is stored or kept for sale.
18. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness including its drain etc. which shall be kept disinfected.	18. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness including its drain etc. which shall be kept disinfected.
19. All kujjar, pattals etc. used in the premises shall be removed immediately to specially erected empty receptacles or bins with a cover kept for this purpose which shall be cleaned at least twice during the sale hours.	19. All kujjar, pattals etc. used in the premises shall be removed immediately to specially erected empty receptacles or bins with a cover kept for this purpose which shall be cleaned at least twice during the sale hours.
20. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.	20. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.
21. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programmes are strictly forbidden.	21. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programmes are strictly forbidden.
22. The licensee shall on expiry of the license, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Rule-18.	22. The licensee shall on expiry of the license, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Rule-18.
23. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.	23. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
	24. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.
Date……...	Date……...
District……	District……
Licensing Authority	Licensing Authority

By order,
(Senthil Pandian C.)
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0-7 असाधारण गजट-31.5.2022-127 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।